



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935

No. 1091]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2013

का.आ. 1238 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1829 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 14 अगस्त, 2012, को प्रकाशित की गई थी, में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (क) जिला वरनाल से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, तालुक/तहसील “लिंगाल घनपूर” के सामने कॉलम (7) के नीचे प्रविष्टि “नेल्लुट्टला” के स्थान पर, “(1) नेल्लुट्टला, (2) नागारम” प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) जिला वरनाल से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, तालुक/तहसील “(2) दर्मसागर” के सामने कॉलम (7) के नीचे प्रविष्टि “(3) दर्मसागर” के पश्चात्, क्रम संख्या (1) से (3) के नीचे, “(4) उनिकिचेरला” अंतःस्थापित की जाएगी; और
- (ग) जिला वरनाल से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, तालुक/तहसील “(4)हनमकोण्डा” के सामने कॉलम (7) में प्रविष्टि “(2) पडीपल्ली” के स्थान पर प्रविष्टि “(2) पैडीपल्ली” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/11021/12/रा-202/पीआईयू-हैदराबाद/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पणी:- मूल अधिसूचना का.आ. 1829 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 14 अगस्त, 2012, में प्रकाशित की गई थी,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th May, 2013

S.O. 1238(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1829(E), dated the 14th August, 2012, published in the Gazette of India No.1525, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th August, 2012, namely:—

In the Schedule to the said notification

- (1) Against serial number 2, relating to District “Warangal”, Taluk/Tehsil “Lingala Ghanpur”, under Column (7), for the entry “Nellutla”, the entry “(1) Nellutla, (2) Nagaram” shall be substituted;
- (2) Against serial number 3, relating to District “Warangal”, Taluk/Tehsil “(2) Dardmasagar”, under Column (7), after the entry “(3) Dardmasagar”, insert “(4) Unikicherla” under Sl. Numbers (1) to (3); and
- (3) Against serial number 3, relating to District “Warangal”, Taluk/Tehsil “(4) Hanamkonda”, under Column (7), for the entry “(2) Padipalli”, the entry “(2) Paidipalli” shall be substituted.

[F. No. NHAI/11021/12/NH-202/PIU-Hyd/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published vide S.O.1829(E), dated the 14th August, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 14th August, 2012.